

आपूर्तिकर्ताओं के लिए निदेशक सिद्धांत



Bestform



VANITY FAIR. JERZEES.

मूल्यांकन: ऐसी प्रक्रिया, जिसके द्वारा FOTL, एक बाहरी निरीक्षक और अन्य व्यावसायिक साझेदार यह निर्धारित करते हैं, कि क्या कोई सुविधा निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुपालन में है, और कमियों और चिंता के क्षेत्रों की पहचान करते हैं।

सुधारात्मक कार्य योजना (CAP): वह कार्य योजना जिसमें किसी भी सामाजिक अनुपालन अथवा सुरक्षा संबंधी मूल्यांकन रिपोर्ट में पाई गई किन्हीं भी बातों को ठीक करने की पद्धतियों का विवरण किया जाता है। CAP में प्राप्त प्रत्येक जानकारी, प्रत्येक परिवर्तनक्षम घटना का मूल कारण, उसमें सुधार के लिए आवश्यक कार्य, उसके लिए जिम्मेदार पक्ष, अंतिम दिवस की तिथि और कार्य मद को पूर्ण करने की स्थिति सूचीबद्ध होती है।

सुविधा: वह भौतिक स्थान जहाँ पर आपूर्ति श्रृंखला के किसी भी चरण के दौरान माल का उत्पादन या भंडारण किया जाता है।

न्यायपूर्ण श्रम संघ (Fair Labor Association फेयर लेबर असोसिएशन - “FLA”): कंपनियों, विश्वविद्यालयों और नागरिक समाज संगठनों का एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क जो यह सुनिश्चित करने में सहयोग कर रहा है कि दुनिया की फैक्ट्रियों और खेतों में काम कर रहे लाखों लोगों को वाजिब भुगतान किया जाए और वे अपने स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण को जोखिमों से संरक्षित रहें।

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organization, “ILO”): श्रम मानकों को निर्धारित करने, नीतियां विकसित करने और सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए अच्छे काम को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए सदस्य देशों की सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को एक साथ लाने वाली एकमात्र त्रिपक्षीय संयुक्त राष्ट्र एजेंसी।

सबकॉन्ट्राक्टर: आपूर्तिकर्ता को छोड़ कर कोई भी अन्य व्यवसाय जिसे Fruit of the Loom (या उसके किसी संबंधित व्यवसाय ने) अपना पर्चेज़ ऑर्डर जारी किया हो, जो कि एक ऐसी प्रक्रिया करता हो जो कि सीधे आपूर्तिकर्ता द्वारा Fruit of the Loom के लिए उत्पाद के निर्माण से संबंधित हो। सबकॉन्ट्राक्टर वाली प्रक्रियाओं के उदाहरण हैं, कटाई, सिलाई या उसके बाद का कोई भी कार्य (उदाहरण के लिए, कढ़ाई, छपाई या ब्राण्ड किए हुए फिनिशड उत्पाद को इस्त्री करना)।

आपूर्ति श्रृंखला: किसी उत्पादन के निर्माण और विक्रय में शामिल सभी व्यक्तियों, संस्थानों, संसाधनों, गतिविधियों और टेक्नोलॉजी का नेटवर्क, जिसमें आपूर्तिकर्ता से स्रोत सामग्री की डिलीवरी से लेकर, अंतिम ग्राहक को अंततः की जाने वाली डिलीवरी तक की गतिविधियाँ शामिल हैं।

Fruit of the Loom और हमारी संलग्न कंपनियों (संयुक्त रूप से, “Fruit of the Loom” या “FOTL”), में हम यह सुनिश्चित करने को प्रतिबद्ध हैं कि हमारी कंपनी सामाजिक दृष्टि से जिम्मेदार तरीके से अपना व्यवसाय करे, और व्यवसाय की आवश्यकताओं का पर्यावरण, हमारी आपूर्ति श्रृंखला में शामिल लोगों और हम जहाँ पर कार्यरत हैं उन समुदायों पर हमारे प्रभाव के साथ संतुलन बनाए रखें। हम ऐसे आपूर्तिकर्ता चुनते हैं जो कि हमारी तरह इस बात के लिए प्रतिबद्ध हों और जो एक वहनीय आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए हमारे साथ कार्य करें।

आचार संहिता नीतिपरक और कानूनी व्यावसायिक रीतियाँ स्थापित करने के लिए, और साथ ही मानव अधिकारों और पर्यावरण के लिए सम्मान के लिए प्रारंभिक बिंदु है। आपूर्तिकर्ताओं द्वारा FOTL आचार संहिता का तृतीय पक्ष मूल्यांकन कंपनियों द्वारा नियमित मूल्यांकनों के ज़रिए निरीक्षण किया जाता है। आपूर्तिकर्ताओं से हर समय अपनी कार्य प्रणाली के बारे में पारदर्शी होने की अपेक्षा की जाती है।

हम निरंतर सुधार के परिवेश को प्रोत्साहित करते हैं और हम जैसे जैसे सुधार के अवसर आएंगे, सहायता प्रदान कर पाएंगे। हमें साथ मिलकर एक ऐसी आपूर्ति श्रृंखला में काम करना चाहिए, जिस में व्यवसाय और लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता हो और जो ऐसे कार्य करती हो, जिससे कि साझा पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव हो।

आपूर्तिकर्ताओं के लिए निदेशक सिद्धांत एक ऐसा संसाधन है, जो कि सीधे Fruit of the Loom अथवा हमारी किसी संलग्न कंपनी के लिए हमारे ब्राण्ड का उत्पादन करने वाली सुविधाओं से हमारे सामाजिक अनुपालन संबंधी अपेक्षाओं की रूपरेखा प्रदान करता है।

इस पूरे दस्तावेज में सही के निशान आवश्यक विशेष गतिविधि की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं।

FOTL में, हम अपने व्यवसाय को व्यवसाय संबंधी नैतिकता और मानव अधिकारों तथा पर्यावरण के सम्मान के उच्चतम मानकों के अनुसार व्यापार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारे उत्पादों की आपूर्ति करने वाली सभी सुविधाओं, उपठेकेदारों, जिनमें ठेकेदार, उपठेकेदार, लाइसेंस धारक, और अन्य निर्दिष्ट व्यावसायिक साझेदार शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है से हम इसी प्रतिबद्धता को आवश्यक बनाते हैं। आपूर्तिकर्ता आचार संहिता में उन मानकों की स्पष्ट जानकारी दी गई है जिनके द्वारा हम सुनिश्चित करते हैं कि आपूर्तिकर्ता प्रतिबद्धता पूरी करते हों और इसका मार्गदर्शन ILO मौलिक सम्मेलन और FLA कार्यस्थल आचार संहिता के सिद्धांत करते हैं।



यह आवश्यक है कि वर्तमान FOTL आचार संहिता उन भाषा(ओं) में पोस्ट की जाए जिसे सभी कर्मचारी समझते हों, और इसमें विदेशी आप्रवासी शामिल हैं, और यह सुविधा के भीतर एक ऐसे क्षेत्र में हो, जहाँ पर सभी कर्मचारी और मुलाकाती इस तक आसानी से पहुँच सकें। इसका आकार 11x17 इंच अथवा A3 होना चाहिए। सभी कर्मचारियों को सालाना तौर पर FOTL आचार संहिता में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। माँग की जाने पर रिकॉर्ड FOTL को भेजे जाने चाहिए। FOTL आपूर्तिकर्ता के प्रबंधन दलों को आचार संहिता प्रशिक्षण प्रदान करता है।

यूएस. कस्टम्स-ट्रेड पार्टनरशिप अगेन्स्ट टेररिज़्म (“C-TPAT”)

यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार ने व्यापार चैनलों को आतंकवाद से सुरक्षित रखने और यू.एस की सीमाओं की रक्षा करने के लिए C-TPAT कार्यक्रम बनाया है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए मेहनत करते हैं कि आतंकवादी, आतंकवादी हथियार और सामग्री और अन्य गैरकानूनी चीजे हमारी आपूर्ति श्रृंखला में दाखिल न हों और यह भी कि उत्पाद और सामग्री से छेड़खानी न की जाए, वह खो न जाए, या फिर वह चोरी न हो जाए।



इन प्रयासों के भाग के रूप में यूएस में माल भेजने वाले आपूर्तिकर्ताओं के लिए कृपया निम्नलिखित आवश्यकताओं को नोट करें:

- वे सभी आपूर्तिकर्ता, जो कि यू.एस में माल भेजते हैं, उनके लिए हर साल FOTL की C-TPAT सुरक्षा वर्कबुक (“C-TPAT Security Questionnaire”) पूरी करना अनिवार्य है।
- यू.एस में माल भेजने वाले सभी आपूर्तिकर्ताओं को C-TPAT- स्वीकृत ISO 17712:2013 उच्च सुरक्षा सील उपयोग करना होगा।

- यू.एस में माल भेजने वाले सभी आपूर्तिकर्ताओं को एक तृतीय पक्ष मूल्यांकन फर्म द्वारा किया जाने वाला सुरक्षा मूल्यांकन करवाना होगा। इस आवश्यकता का अनुपालन करने के लिए SCAN अथवा WRAP सुरक्षा मूल्यांकन स्वीकार्य हैं।
- यू.एस. कस्टम्स बिना किसी निश्चित क्रम के (यू.एस में माल भेजने वाले) आपूर्तिकर्ताओं का मूल्यांकन करते हैं, ताकि उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले सुरक्षा उपायों का मापन किया जा सके।

संघर्षपूर्ण खनिज

22 अगस्त, 2012 को यू.एस. सिक्योरिटीज़ एंड एक्स्पेन्स कमिशनने डॉड-फ्रैंक वॉल स्ट्रीट रिफॉर्म एंड कन्ज़्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट (डॉड-फ्रैंक वॉल स्ट्रीट परिवर्तन एवं उपभोक्ता सुरक्षा कानून) के खंड 1502 की आवश्यकतानुसार एक अंतिम नियम अपनाया है, जिसमें सभी ऐसी कंपनियों के लिए काँगो प्रजासत्ताक गणराज्य (“DRC”) अथवा किसी संलग्न देश (DRC के साथ “Covered Countries” - सम्मिलित देश) में से आए संघर्षपूर्ण खनिजों का अपना उपयोग सार्वजनिक रूप से प्रकट करना आवश्यक है, जिनका स्वामित्व सार्वजनिक हो (यानि कि जिनके शेयर बाज़ार में खरीदे-बेचे जाते हों)। खंड 1502 के तहत, “संघर्षपूर्ण खनिज” में टेन्टेलम (जिसे कोलम्बाइट-टेन्टेलाइट से उत्पन्न किया जाता है), टिन (जिसे केसिटेराइट से उत्पन्न किया जाता है), टंग्स्टन (जिसे वॉल्फ्रेमाइट से उत्पन्न किया जाता है, और सुवर्ण शामिल है। सम्मिलित देशों में है DRC, और DRC से संलग्न देश: अंगोला, बुरुन्डी, मध्य आफ्रिकी गणराज्य, रवान्डा, दक्षिणी सुदान, तान्ज़ानिया, युगान्डा और ज़ाम्बिया।



यह नियम 31 जनवरी, 2013 के बाद उत्पादित सभी उत्पादों पर लागू होता है।

संघर्षपूर्ण खनिजों की पहचान और इनकी यू.एस. सरकार को रिपोर्ट करने में सहायता करने के लिए, प्रत्येक नए आपूर्तिकर्ता और लाइसेंस धारक को संघर्षपूर्ण खनिज संबंधी Excel प्रश्नावली पूर्ण कर अपनी आपूर्ति श्रृंखला का मूल्यांकन करना होता है। आपूर्तिकर्ताओं और लाइसेंस धारकों का निर्धारित अवधि के बाद बेतरतीब चयन किया जाएगा और उन्हें एक नई संघर्षपूर्ण खनिज संबंधी प्रश्नावली पूरी करनी होगी, जिसको पूरा करने से इसको दिए गए पहले के उत्तरों की सटीकता और पूर्णता का भी प्रमाणन हो जाएगा और पुष्टि की जाएगी। उपरांत हम सभी आपूर्तिकर्ताओं और लाइसेंसधारियों से निरंतर अपनी आपूर्ति श्रृंखला की समीक्षा करने की और यदि कोई संघर्षपूर्ण खनिज उपयोग किये जाएं या फिर कोई ऐसी घटना घटे जिससे संघर्षपूर्ण खनिज संबंधी प्रश्नावली गलत हो जाए, तो हमें इसकी जानकारी देने की अपेक्षा करते हैं।

Fruit of the Loom अपनी आपूर्ति श्रृंखला में जबरन मज़दूरी के उपयोग को प्रतिबंधित करता है, जिसमें बंदी द्वारा मज़दूरी, बंधुआ मज़दूरी या गुलाम द्वारा मज़दूरी, करारबद्ध मज़दूरी शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। FOTL की आचार संहिता के तहत यह अनिवार्य है कि आपूर्तिकर्ता अपनी खुद की आपूर्ति श्रृंखला का निरीक्षण करें, और यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएं कि उनकी सुविधाओं और उनकी आपूर्ति श्रृंखलाओं की सुविधाओं का उपयोग बेगार या मानव तस्करी के लिए न किया जाता हो। दूसरे शब्दों में, Fruit of the Loom के सभी आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों, उपठेकेदारों, लाइसेंसधारकों और अन्य निर्दिष्ट व्यावसायिक साझेदारों को अपनी खुद की आपूर्ति श्रृंखला में बेगार और मानव तस्करी को प्रतिबंधित करना चाहिए, और माँग किए जाने पर अपने अनुपालन का साक्ष्य प्रदान करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, मार्गदर्शन के रूप में निम्नलिखित Fruit of the Loom के सभी आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों, उपठेकेदारों, लाइसेंसधारकों, और अन्य निर्दिष्ट व्यावसायिक साझेदारों पर लागू होंगे:

- किसी भी बंदी, बंधुआ, गुलाम या करारबद्ध मज़दूर की अनुमति नहीं है।
- कर्मचारियों को भरती करने या नौकरी दिए जाने को लेकर किसी भी तृतीय पक्ष या नियोक्ता का ऋणी नहीं होना चाहिए।
- कर्मचारी को भरती, या नौकरी दिये जाने के दौरान या फिर नौकरी पर बने रहने के लिए कोई भी शुल्क, कर, डिपोज़िट या बॉन्ड नहीं चुकाना पड़ना चाहिए। पूर्ववर्ती में आयकर कटौतियाँ, सामाजिक बीमा या सरकारी प्राधिकरणों द्वारा अनिवार्य बनाई गई अन्य कानूनी कटौतियाँ शामिल नहीं हैं। प्रतिबंधित शुल्क के उदाहरण: रिक्रूटमेंट एजेंट का शुल्क/कमीशन, कानूनन आवश्यक चिकित्सकीय जाँचें या टीके, पासपोर्ट, कार्य विज़ा/परमिट, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा, पहचान बैज या टाइम कार्ड, नोटरी या अन्य कानूनी शुल्क।
- नियुक्ति के वास्तविक नियम और शर्तें भर्ती के समय हस्ताक्षरित अनुबंधों के अनुपालन में होने चाहिए।
- प्रवासियों को घर छोड़ने से पहले नियुक्ति की मूलभूत शर्तों की जानकारी दी जानी चाहिए।
- कर्मचारियों की लिखित सहमति के साथ भी कर्मचारियों के निजी पहचान दस्तावेज़ सुविधा या रोज़गार एजेन्सी के नियंत्रण में या उसके पास नहीं होने चाहिए।
- कर्मचारियों पर फैक्ट्री द्वारा प्रदान किए जाने वाले निवास में रहने के लिए ज़बरदस्ती नहीं की जानी चाहिए।
- कर्मचारियों को काम के बाद एवं बिना भुगतान के विराम के दौरान Facility (सुविधा) से जाने से सीमित नहीं किया जाना चाहिए।
- ओवरटाइम काम परस्पर सहमति से होना चाहिए, उन कर्मचारियों के लिए भी जिन्होंने उत्पादन क्वोटा/टार्गेट पूरा न किया हो।

- बेगार के बारे में लिखित नीति होनी चाहिए और आपूर्ति श्रृंखला में बेगार एवं मानव तस्करी का उपयोग न किया जा रहा हो यह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रक्रिया होनी चाहिए।
- बेगार संबंधी नीति और प्रक्रिया की हर साल समीक्षा की जानी चाहिए एवं उसका अद्यतन किया जाना चाहिए।
- जबरन मज़दूरी की किसी भी घटना और सूत के उद्भव स्थान (यदि लागू होता हो) का रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए।
- पर्यवेक्षकों सहित, कर्मचारियों को प्रक्रियाओं में संशोधन किया जाने पर उनके पद से संबंधित बेगार नीति और प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और इसका रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए।



यह सभी को ज्ञात है कि उज़बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में उत्पन्न कपास सरकार द्वारा प्रायोजित जबरन मज़दूरी से काटा जाता है। बाल मज़दूरी और जबरन मज़दूरी कंपनी की आचार संहिता के बिलकुल बर्दाश्त न किए जाने वाले उल्लंघन हैं और किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। मानव अधिकारों के सम्मान के लिए प्रतिबद्ध कंपनी के रूप में, हम यह अपने व्यावसायिक साझेदारों से FOTL के लिए उत्पादों का उत्पादन करते समय प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उज़बेकिस्तान या तुर्कमेनिस्तान से कपास खरीदने, या फिर ऐसे विक्रेताओं खरीदे धागे या कपड़े का जानबूझकर उपयोग करने से बचना अनिवार्य बनाते हैं, जो उज़बेकिस्तान या तुर्कमेनिस्तान से कपास प्राप्त करते हों। उपरांत, हम यह आवश्यक बनाते हैं कि हमारे व्यावसायिक साझेदार FOTL के लिए बनाए गए सभी उत्पादों में उपयोग किए गए सूती कपड़े के उद्गम की पहचान करने वाले रिकॉर्ड रखें और इन रिकॉर्ड्स को मूल्यांकनों के दौरान समीक्षा के लिए उपलब्ध कराएं।

हम इस अति गंभीर समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त करने को प्रतिबद्ध हैं, और इस नीति के किसी भी उल्लंघन को उपयुक्त कदमों से ठीक किया जाएगा अन्यथा दोषी कंपनी से व्यावसायिक संबंध समाप्त कर दिए जाएंगे।

उत्तर कोरियाई श्रम

यूनाइटेड स्टेट्स के कानून, Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (काउंटरिंग अमेरिकाज़ एडवर्सरीज़ थ्रू सेंक्शन्स एक्ट यानी कि अमरिका के विरोधियों का प्रतिबंध द्वारा प्रतिकार करना कानून - "CAATSA") के तहत, कुछ अपवादों को छोड़ कर उत्तर कोरियाई नागरिकों या देशवासियों द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से खनन किए हुए, निर्मित या उत्पादन किए हुए किसी भी महत्वपूर्ण माल के यूनाइटेड स्टेट्स में प्रवेश पर प्रतिबंध है। हमारे आपूर्तिकर्ता और लाइसेंसधारकों की ज़िम्मेदारी है कि यह सुनिश्चित करना उनके उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला में बेगार का उपयोग नहीं किया जा रहा है, और यह कि, हमारी कंपनी से लिखित अनुमति न होने पर, उनकी उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला में किसी भी उत्तर कोरियाई नागरिक या देशवासी का उपयोग नहीं किया जा रहा है। इसमें सभी लाइसेंसधारी और कच्ची सामग्री के आपूर्तिकर्ता तक के आपूर्तिकर्ताओं के सभी स्तर शामिल हैं।

चीन का शिनजिआंग वीघर स्वतंत्र क्षेत्र ("XUAR")

यूनाइटेड स्टेट्स काँग्रेस ने XUAR में मानव अधिकारों के उल्लंघन और बेगार के आरोपों के प्रतिभाव के रूप में Uyghur Forced Labor Prevention Act (उघ्युर बेगार की रोकथाम कानून - "UFLPA") पारित किया है, जो कि Uyghur Human Rights Policy Act of 2020 (2020 के उघ्युर मानव अधिकार नीति कानून) का संशोधित रूप है। UFLPA XUAR में आंशिक या समग्र रूप से खनन किए गए, निर्माण किए गए या उत्पादन किए गए; XUAR सरकार के साथ

बेगार में लोगों की भर्ती करने, उनका परिहवन करने, उन्हें रखने या प्राप्त करने में शामिल कुछ निकायों द्वारा उत्पादन किए गए; या XUAR से माल आयात करने वाले निकायों द्वारा उत्पादन किए गए सामान का यू.एस. में आयात प्रतिबंधित करता है। UFLPA के बिना साक्ष्य की उपस्थिति में सत्य माने जाने वाली धारणा से जीतने के लिए, आयातकार को साफ और ठोस साक्ष्य से स्थापित करना होगा, कि सामान का बेगार के इस्तेमाल से उत्पादन नहीं किया गया था। UFLPA XUAR में बेगार में शामिल, उसके लिए उत्तरदायी या उसे अनुकूलन प्रदान करने वाले के रूप में निर्धारित व्यक्तियों के खिलाफ प्रतिबंध को भी अधिकृति देता है। अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा ("CBP") को आपूर्ति श्रृंखला में बेगार से संबंधित विथहोल्ड रिलीज़ ऑर्डर ("WRO") जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है।

UFLPA के उपरांत, यू.एस. ट्रेज़री विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय ("OFAC") ने अतिरिक्त निकायों को "Chinese Military-Industrial Complex Companies" (चीनी सेना-औद्योगिक संकुल कंपनियों - "CMICs") के रूप में निर्दिष्ट किया है और उन्हें अपनी "Non-SDN Chinese Military-Industrial Complex Companies List (गैर-SDN चीनी सेना-औद्योगिक संकुल कंपनियाँ सूची "NS-CMIC List") में जोड़ा है चूँकि वह सक्रिय रूप से चीन में जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों, और मुख्यतः XUAR में स्थित ऐसे व्यक्तियों की बायोमेट्रिक निगरानी, ट्रेकिंग और फेशियल रेकग्निशन का सक्रिय रूप से समर्थन करते हैं। यू.एस. के व्यक्तियों का NS-CMIC सूची में मौजूद किसी CMIC द्वारा जारी सार्वजनिक रूप से ट्रेड किए जाने वाले शेयरों में कुछ प्रकार के लेनदेन में हिस्सा लेना प्रतिबंधित है। OFAC ने पहले व्यक्तियों और निकायों को XUAR में जातीय अल्प संख्यकों के खिलाफ मानव अधिकारों के उल्लंघन से उनके संबंध के लिए अपने वैश्विक मैग्निट्स्की प्रतिबंध विनियमों के तहत निर्दिष्ट किया था।

इसके अलावा, यू.एस. के कॉमर्स डिपार्टमेंट के ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्वॉरिटी ("BIS") ने नये विदेशी निकायों को अपनी "निकाय सूची" में जोड़ने वाला एक अंतिम नियम जारी किया है। निकाय सूची उन निकायों की पहचान करती है, जो यूनाइटेड स्टेट्स की राष्ट्रीय सुरक्षा या विदेश नीति हितों के खिलाफ गतिविधियों में शामिल होते हैं, जिन गतिविधियों में XUAR में मानव अधिकारों का उल्लंघन और बेगार संबंधी रीतियाँ शामिल हैं। निकाय सूची में मौजूद निकायों को निर्यात प्रशासन विनियमों में अन्यत्र मौजूद लाइसेंसिंग संबंधी आवश्यकताओं और नीतियों की पूरक नीतियों के अधीन रहना पड़ता है, और इन नये जोड़े गए निकायों को निर्यात, पुनर्निर्यात, या देश के भीतर स्थानांतरण के लिए लाइसेंस अपवाद प्राप्त नहीं होते हैं।

जुलाई 2021 में, यू.एस. के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, ट्रेज़री, कॉमर्स और होमलैंड सिक्वॉरिटी ने संयुक्त रूप से एक शिन जांग आपूर्ति श्रृंखला एडवाइज़री जारी की और बात में उसे अद्यतन भी किया, जिसमें व्यवसाय और व्यक्ति अगर XUAR से जुड़ी आपूर्ति श्रृंखलाओं, उपक्रमों या निवेशों से बाहर नहीं आते तो उन्हें जिनका सामना करना पड़ सकता है उन जोखिमों की रूपरेखा दी गई थी।

FOTL के आपूर्तिकर्ताओं को ऐसा कोई सामान या सामग्री उत्पन्न, निर्माण या प्राप्त (नहीं करना चाहिए जिसमें बिना मर्यादा के कॉटन और कॉटन इनपुट शामिल हैं), जो कि XUAR में या से प्राप्त किए गए हों, या जिन्हें ऐसे संगठन द्वारा बनाया या उत्पन्न किया गया हो जो अन्यथा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में किसी CMIC या NS-CMIC सूची की गतिविधियों का समर्थ करता हो, जो BIS निकाय सूची पर मौजूद निकाय हो या फिर उसकी या उनकी कोई अनुषंगी कंपनी है। माँग की जाने पर पूर्वगामी का FOTL की अपनी खुद की समझ के अनुसार संतोषकारक दस्तावेज़ीकरण प्रदान किया जाएगा। चीन में और चीन के साथ व्यवसाय करने वाले FOTL के आपूर्तिकर्ताओं को नियमित रूप से होने वाली नई घटनाओं की समीक्षा करनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी नीतियाँ और प्रक्रियाएँ मौजूदा आर्थिक, प्रतिबंध, निर्यात और आयात संबंधी आवश्यकताओं से संरेखित हों।

अनुपालन मूल्यांकन

सुविधाओं और उपठेकेदारों का आचार संहिता के संघटकों के अनुपालन के लिए मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मूल्यांकन ऐसी तृतीय पक्ष मूल्यांकन कंपनियों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, जिसे कानूनी विशेषज्ञता और स्थानीय भाषा और संस्कृति का ज्ञान हो।



मूल्यांकन हो उससे पूर्व मूल्यांकन के लिए तुरंत भुगतान करना आपूर्तिकर्ता अथवा लाइसेंस धारक की जिम्मेदारी है। तथापि। FOTL, हमारी कंपनी के खर्च पर अचानक मूल्यांकन कराने का अधिकार आरक्षित रखता है।

पहले खरीदारी ऑर्डर प्राप्त करने से पहले, सुविधाओं और सबकॉन्ट्रैक्टरों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए और FOTL कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी विभाग द्वारा उनकी लिखित स्वीकृति दी जानी चाहिए। ऑर्डर पाना जारी रखने के लिए, वार्षिक मूल्यांकन आवश्यक हैं और माँग किए जाने पर सभी सामाजिक अनुपालन मूल्यांकन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। एक पूर्वनिर्धारित समयावधि में किसी मूल्यांकन से प्राप्त जानकारी संबंधी सुधार, जिनकी पहचान CAP में की गई हो, करने की जिम्मेदारी भी आपूर्तिकर्ताओं की है। हम आपूर्तिकर्ताओं से अपेक्षा करते हैं कि वे आचार संहिता अथवा स्थानीय कानून, दोनों में से जो भी कर्मचारियों के लिए सुरक्षा का उच्चतर स्तर प्रदान करता हो, उसके अनुपालन के लिए मेहनत से कार्य करें।

Fruit of the Loom न्यायिक श्रम संगठन में हिस्सा लेने वाली मान्यता-प्राप्त कंपनी है, एक ऐसी कंपनी, जो उद्योग के प्रयासों, नागरिक समाज, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के प्रयासों को मिला कर वैश्विक रूप से कार्य स्थितियों को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है। हमारे व्यावसायिक साझेदारों के स्वतंत्र मूल्यांकन इस सहभागिता का एक संघटक हैं। FLA की संवहनीय अनुपालन पहल (“SCI”) पद्धति एक प्रबंधन प्रणालि अभिगम का अनुसरण करती है और मानक सामाजिक अनुपालन मूल्यांकनों से अधिक वास्तविक, परामर्शक और अंतःक्रियात्मक है। FLA SCI के कार्यक्षेत्र में आने वाला क्षतिपूर्ति

संबंधी डेटा भी इकट्ठा करता है, उसे व्यवस्थित करता है और उसके लिए बेंचमार्क निर्धारित करता है। आपूर्तिकर्ता SCI मूल्यांकन स्वीकार करने के लिए इच्छुक होने चाहिए और आपूर्तिकर्ता किसी SCI मूल्यांकन से प्राप्त जानकारी में उल्लिखित अंतिम तिथि तक सुधार करने के लिए जिम्मेदार हैं। SCI मूल्यांकन केवल स्वामित्व वाली और आपूर्तिकर्ता सुविधाओं में ही किए जाते हैं। आपको किसी भी SCI मूल्यांकन की अग्रिम सूचना दी जाएगी।

फैक्ट्री की सुरक्षा: बांग्लादेश

बांग्लादेश में स्थित सुविधाओं को Nirapon या RMG स्थिरता परिषद (RMG Sustainability Council, “RSC”) की आवश्यकताओं को पूरा करने के बारे में Fruit of the Loom के साथ पूरी तरह संयोजन और सहयोग करना चाहिए।

आपूर्तिकर्ता श्रृंखला मैपिंग

हमारी वहनीयता योजना, “Fruitful Futures (फ्रूटफुल फ्यूचर्स)” में पारदर्शी आपूर्ति श्रृंखलाओं से वहनीय रूप से माँगवाने की हमारी प्रतिबद्धता शामिल है। हमारा इरादा 2025 तक हमारी 100% आपूर्ति श्रृंखला को कच्चे माल से मानचित्रांकित करना है। यह उन स्थानों को समझने और उन परिस्थितियों की सुरक्षा करने के हमारे कार्य में और CBP आवश्यकताओं, दोनों के लिए एक प्रमुख चरण है, जहाँ हमारे उत्पादों का निर्माण होता है।

सुविधाओं को FOTL की एक प्रश्नावली का उत्तर देना होता है, जो अंतिम असेम्बली निर्माता से कच्चे माल जिनमें कपड़ों के लिए सीने वाले धागे और इलास्टिक जैसे ट्रिम्स से लेकर कठोर सामान के लिए नट, बोल्ट, प्लास्टिक, रबर और चमड़े सहित पूरी आपूर्ति श्रृंखला को कवर करती है। ऐफिडेविट और बिल, खरीदारी के ऑर्डर, रसीद का दस्तावेज़ीकरण, परिवहन का दस्तावेज़ और आपूर्ति श्रृंखला के सभी चरणों से उत्पादन की रिपोर्ट जैसे व्यावसायिक दस्तावेज़ों की ज़रूरत हो सकती है। ये दस्तावेज़ माँग किए जाने के 20 दिनों के भीतर सभी व्यावसायिक साझेदारों से प्राप्त हो जाने चाहिए।